न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज.)

(शिप्रा शर्मा आर.ए.एस द्वारा अध्याषित)

तारीख दायर :— 13.10.2006

वाद संख्या :— (125 / 2006) 87 / 2017

निर्णय तारीख :— 06.09.2019

उनवान

1. मांगीलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू
   मृतक

1 / 1. रंगलाल पुत्र मांगीलाल

1 / 2. राजाराम पुत्र मांगीलाल

1 / 3. प्रभू पुत्री मांगीलाल

1 / 4. रामफूली पुत्री मांगीलाल

1 / 5. सुरजकरणी पुत्री मांगीलाल

1 / 6. ममता पुत्री मांगीलाल

1 / 7. मूली पुत्री मांगीलाल

1 / 8. फोरन्ता पुत्री मांगीलाल

1 / 9. कानी देवी बेवा मांगीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू

2. मोतीलाल पुत्र घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू
   मृतक

2 / 1. शिवराज पुत्र मोतीलाल

2 / 2. बरमा पुत्री मोतीलाल

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

2/3. सम्पत पुत्री मोतीलाल

2/4. शारदा पुत्री मोतीलाल

2/5. कैलाशी बेवा मोतीलाल

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू

3. कस्तूरी पुत्री घासी जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलेक्टर टोंक (राज.)
2. तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. गोपाल पुत्र बद्री जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह. पीपलू
4. रामभज पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू
5. उंकार पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह. पीपलू
6. भंवरलाल पुत्र रामकरण जाति गुर्जर निवासी ग्राम नोरंगपुरा तह.पीपलू

प्रतिवादीगण

वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :—

1. श्री विवेक चौधरी अधिवक्ता वादीगण
2. राजकीय पेरोकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

निर्णय

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद प्रस्तुत कर कथन किया की वादीगण के पिता घासी पुत्र हरदेवा जाति गुर्जर ने दिनांक 07.08.69 को तत्कालीन खातेदार नवाब मोहम्मद ईस्माईल अली खां से आराजी ख.नं. 1/24 रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम सन्देडा की भूमि को रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र द्वारा खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। तत् समय ही विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में अंकन कर दिया गया था, भू–प्रबंध के समय 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि के स्थान पर घासी पुत्र हरदेवा के नाम 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि बतोर नये खसरा नम्बर 32 दर्ज की गई, किन्तु मौके पर 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि मोजूद है ओर कब्जा काश्त है। वादीगण के पिता को 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि की ही खातेदारी दी जानी चाहिए थी, भू–प्रबंध द्वारा की गई त्रुटि अवेध एवं शून्य है ओर वादीगण के प्रति प्रभावहीन है । वादीगण के नाम 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि कम दर्ज है । मौके पर कुल 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि का चक मोजूद है जिसमे से वादीगण ने 10 बीघा भूमि गोपाल पुत्र बद्री और 9 बीघा 18 बिस्वा भूमि रामभजन, ओकार, भंवरलाल पि. रामकरण गूजर को विक्रय कर दी है जिसका राजस्व रिकार्ड में ख.नं. 32/2 व 32/3 के रूप में अंकन है वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम 9 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है जबकि वादीगण के नाम 15 बीघा 06 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिए थी, इस कारण वादीगण ने कम की गई 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने राजस्व रिकोर्ड को दुरूस्त करने के अनुतोष प्राप्ति हेतु वाद प्रस्तुत किया है ।

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर्ड कर तलबी प्रतिवादीगण की गई प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया।

पूर्व मे प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 20.11.2009 को तनकीवार विस्तृत निर्णय पारित कर वाद वादीगण खारिज फरया गया था जिसके विरूद्ध अपीलान्ट ने न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी टोंक के समक्ष अपील संख्या 25/2010 पेश की गई थी जिसका निर्णय दिनांक 16.05.2017 को किया जाकर प्रकरण मे पारित निर्णय व डिक्री 20.11.2009 को अपास्त कर निर्णय के पेरा संख्या 7 में की गई विस्तृत विवेचना के परिपेक्ष मे उपभय पक्षों की बहस को सुनकार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है जिसके पश्चात् पक्षकारों की पुनः सुनवाई की गई ।

वादीगण ने अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 69, 50, 336 सम्वत् 2060 से 63 की प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 70 सम्वत् 2052 से 55 की प्रति शीट की प्रति, तरमीम शीट की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, खसरा गिरदावरी की प्रति, रजि. विक्रय पत्र दिनांक 07.08.69 की मूल प्रति, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 47 सम्वत् 2018 से 21 की प्रति, मिलान क्षेत्रफल की प्रति, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2023 से 26 की प्रति, नकल खसरा बन्दोबस्त की प्रतिया, नवाब साहब के खाते की प्रति पेश की है तथा साक्षयों के बयान दर्ज करवाये है । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार पीपलू / पटवारी हल्का सन्देडा से वादीगण द्वारा मागे गये अनुतोष के संदर्भ में वाद ग्रस्त आराजी की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट प्राप्त की गई ।

हमनें बहस अभिभाषक वादी व पेरोकार सरकार सुनी अभिभाषक वादीगण ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकोर्ड,

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

साक्ष्य एवं तहसीलदार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने का निवेदन किया, जिसका पेरोकार सरकार ने विरोध कर वाद खारिज करने बाबत बताया ।

हमने बहस पर मनन किया तदोपरान्त तनकीवार विवेचन निम्नानुसार है :–

तनकी नं. 1 – आया वादीगण ने दिनांक 07.08.1969 को ततकालिन खातेदार नवाब मोहम्मद इस्माईल अली खां से खसरा नम्बर 1/24 रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा जरिये विक्रय पत्र खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिस पर वादीगण काबिज है को साबित करने का भार वादीगण पर था । विक्रय पत्र दिनांक 01.08.69 प्रदर्श –7 से खसरा नम्बर 1/24 रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा वाके ग्राम सन्देडा को घासी पुत्र हरदेवा जाति गुर्जर द्वारा नवाब मोहम्मद इस्माईल खां से खरीद किया जाना सिद्ध है । विक्रय पत्र का राजस्व रिकार्ड में भू–प्रबंध से पहले अमल दरामद किया जाना जमाबन्दी खाता संख्या 47 सम्वत् 2018 से 21 में सिद्ध है तथा साबिका खसरा नम्बर 1/24 के हाल खसरा नम्बर बनना मिलान क्षेत्रफल से सिद्ध है वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 69 सम्वत् 60 से 63 से ख.नं. 32/1 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा घासी पुत्र हरदेवा गुर्जर, खाता संख्या 50 से ख.नं. 32/2 रकबा 10 बीघा गोपाल पुत्र बद्री गुर्जर व खाता संख्या 336 से ख.नं. 32/3 रकबा 9 बीघा 18 बिस्वा रामभजन, ऊंकार, भवरलाल पि. रामकरण जाति गुर्जर की खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि के स्थान पर 29 बीघा 17 बिस्वा भूमि ही भू–प्रबंध के पश्चात् घासी पुत्र हरदेवा गुर्जर के नाम दर्ज की गई है 5 बीघा 07 बिस्वा भू–प्रबंध के समय कम की गई है पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 23.12.2016 को प्रस्तुत की गई

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

रिपोर्ट से स्पष्ट है कि रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 32 का क्षेत्रफल 35 बीघा बनता है जिसमें से मेड पर एक सिवाय चक रास्ता खसरा नम्बर 23 दर्ज रिकार्ड है जो 1 बीघा 03 बिस्वा है उसके अनुसार मौके पर रास्ते का रकबा हटाने के पश्चात् 33 बीघा 17 बिस्वा भूमि पर खातेदारान की जोत होना स्पष्ट है। उपरोक्त सभी तथ्यों के विवेचन से तनकी संख्या 1 वादीगण के हित में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 2 – आया वादीगण भू–प्रबंध के दोरान खसरा नम्बर 1/24 रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा के स्थान पर 29 बीघा 17 बिस्वा दर्ज की गई भूमि के रकबे को दुरूस्त करवाने के अधिकारी है को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था जो वादीगण ने अपने दस्तावेजी सक्ष्यों से पूर्णरूप से साबित किया है, भू–प्रबंध को पूर्ववत इन्द्राज को यथावत रखा जाना आवश्यक था, बिना किसी सक्षम न्यायायल एवं आदेश के वादीगण के पिता के नाम दर्ज 35 बीघा 04 बिस्वा के स्थान पर 29 बीघा 04 बिस्वा भूमि दर्ज किया जाना गलत है इस कारण भू–प्रबंध द्वारा कम गई 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि को वादीगण प्राप्त कर रिकार्ड दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। अतः तनकी वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 3 – आया मौके पर 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि मोजूद है की गई त्रुटि को वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है को साबित करने का भार वादीगण पर था इस तनकी बाबत विस्तृत विवेचना तनकी संख्या 2 में की जा चुकी है अतः तनकी वादीगण के पक्ष मे निर्णित की जाती है ।

तनकी संख्या 4 – आया वादी अपने दस्तावेजी साक्ष्य से रकबा 35 बीघा 04 बिस्वा साबित करे तथा तनकी संख्या 5 – आया प्रतिवादी को

उप खण्ड अधिकारी
(टोंक)

राज्य सरकार का प्रतिनिधि होने से दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है उक्त दोनो तनकीयात को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर रखा गया, किन्तु प्रतिवादीगण ने किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह साबित नही किया है कि वादीगण के पिता के नाम खरीद शुद्धा 35 बीघा 04 बिस्वा भूमि के स्थान पर भू–प्रबंध के समय 29 बीघा 17 बिस्वा की खातेदारी ही क्यों दर्ज की गई शेष बची 5 बीघा 07 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता के नाम किस प्रकार कम की गई, जहॉ प्रतिवादीगण को दफा 80 सी.पी.सी. का नोटिस बाबत कथन है वहा वादीगण ने अपने वाद पत्र के साथ अनुमति हेतु धारा 80 (2) का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तत्पश्चात वाद दर्ज रजिटर किया गया है जो नियमानुसार है । तनकी संख्या 4 व 5 को प्रतिवादीगण द्वारा साबित नही किये जाने की वजह से प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट तहसीलदार से पूर्णतया साबित होने से वाद वादीगण डिक्री किया जाकर आराजी ख.नं. 32/1 रकबा 9 बीघा 19 बिस्वा के स्थान पर 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि जोड कर कुल 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार रिपोर्ट पटवारी में ख.नं. 32 की जोत मे सिवाय चक रास्ता ख.नं. 23 रकबा 1 बीघा 03 बिस्वा भूमि का समाहित होना बताया है जो यथावत रहेगा । राजस्व नक्शा सीट में किसी प्रकार का संशोधन नही होना है 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि की जो खातेदारी वादीगण को दी गई है उसका इन्द्राज जमाबन्दी में होना है वादीगण के नाम 14 बीघा 03 बिस्वा भूमि की खातेदारी का अंकन किया जावें, ओर बढाये गये रकबे

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

की 4 बीघा 04 बिस्वा भूमि को अन्य सिवाय चक भूमि से कम किया जावें, उक्त अनुसार तहसीलदार पीपलू को राजस्व रिकार्ड में संशोधित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है ।

उपखण्ड अधिकारी पीपलू

(शिप्रा शर्मा)

उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)